भारत सरकार

शिक्षा मंत्रालय

उच्चतर शिक्षा विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 1631

उत्तर देने की तारीख-31/07/2023

जातिगत भेदभाव के कारण आत्महत्या के मामले

†1631. श्री के. सुधाकरनः

श्री कार्ती पी. चिदम्बरमः

श्री बैन्नी बेहननः

श्री विनसेंट एच. पालाः

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) वर्ष 2014 से आईआईटी, एनआईटी, केन्द्रीय विश्वविद्यालयों और आईआईएसईआर सहित उच्च शिक्षा संस्थानों में आत्महत्या के कितने मामलों की सूचना मिली है;

(ख) जातिगत भेदभाव के कारण कितनी आत्महत्याएं की गई हैं;

(ग) क्या सरकार की शैक्षिक संस्थाओं में जातिगत भेदभाव की बढ़ती घटनाओं के मुद्दे से किस तरह से निपटने की योजना है;

(घ) क्या सरकार ने शैक्षिक संस्थानों में आत्महत्याओं की बढ़ती संख्या के मूल कारणों का विश्लेषण करने के लिए कोई अध्ययन कराया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) क्या सरकार का विचार शैक्षिक संस्थाओं के लिए परामर्श सेवाएं प्रदान करना अनिवार्य बनाने का है?

उत्तर

शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री

(डॉ. सुभाष सरकार)

(क) और (ख): भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी), राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान (एनआईटी), केंद्रीय विश्वविद्यालयों, भारतीय विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान संस्थान (आईआईएसईआर), भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईआईटी) और स्कूल ऑफ प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर (एसपीए) सहित 135 विभिन्न उच्च शिक्षा संस्थानों (एचईआई) में वर्ष 2014 से कुल 137 आत्महत्याओं की सूचना मिली है। सामान्यतः छात्रों के बीच आत्महत्या किसी एक कारण या कई मिले-जुले कारणों से होती है जिनमें शैक्षणिक तनाव, पारिवारिक कारण, व्यक्तिगत कारण, मानसिक स्वास्थ्यबत मुद्दे, वित्तीय संकट और छात्रों के बीच अंतर-वैयक्तिक मनमुटाव शामिल हैं।

(ग) से (ङ): सरकार शैक्षणिक संस्थानों के परिसरों में आत्महत्या की प्रत्येक घटना को सर्वोच्च महत्व देती है और इस संबंध में कई पहलें शुरू की गई हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) 2020 में संस्थानों में तनाव से निपटने और भावनात्मक समायोजन संतुलन के लिए परामर्श प्रणाली का प्रावधान है। इस नीति में छात्रों की खेल-कूद, संस्कृति/कला क्लबों, इको-क्लबों, गतिविधि क्लबों, सामुदायिक सेवा परियोजनाओं आदि में भागीदारी के अवसरों का भी प्रावधान किया गया है। छात्रों में आत्महत्या की प्रवृत्ति को रोकने के लिए, उच्च शिक्षा संस्थान छात्रों के उत्पीड़न को रोकने और उनके मानसिक कल्याण के लिए सक्रिय कल्याणकारी उपाय करते हैं और छात्रों की काउंसलिंग के लिए समय-समय पर परामर्शदाताओं/मनोवैज्ञानिकों/डॉक्टरों को नियुक्त करते हैं। इसके अलावा, संस्थान के अपने संकाय/वार्डन/संरक्षक भी छात्रों को उनकी विभिन्नड समस्याउओं का समाधान करने में सक्रिय तौर पर मदद करते हैं चाहे यह शैक्षणिक, व्यक्तिगत, भावनात्मक हो। ये संस्थान छात्र समुदाय के लिए संवेदीकरण कार्यक्रम के माध्यम से नियमित परामर्श सत्र आयोजित करते हैं। इसके अलावा, छात्रों, वार्डन और केयरटेकरों को साथी छात्रों में अवसाद के लक्षणों को अधिकारियों के सामने लाने के लिए संवेदनशील किया जाता है ताकि नैदानिक परामर्श समय पर प्रदान किया जा सके।

छात्रों के हितों की रक्षा के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) (छात्रों की शिकायतों का निवारण) विनियम, 2019 बनाए गए हैं। यूजीसी ने विश्वूविद्यालय अनुदान आयोग ने उच्चतर शिक्षण संस्थासनों में रैगिंग के खतरे को रोकने पर यूजीसी विनियम, 2009 भी अधिसूचित किए हैं। कोविड के दौरान और बाद में मानसिक स्वास्थ्य और कल्याण के मुद्दे का समाधान करने के लिए, यूजीसी ने 05.04.2020 को उच्च शिक्षण संस्थानों (एचईआई) को एडवाइजरी जारी की थी। यूजीसी ने स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा तैयार की गई राष्ट्रीय आत्महत्या रोकथाम कार्य योजना,2021को भी परिचालित किया है।

शिक्षा मंत्रालय ने शैक्षणिक तनाव को कम करने के लिए छात्रों हेतु साथियों की सहायता से सीखना, क्षेत्रीय भाषाओं में तकनीकी शिक्षा की शुरुआत जैसे कई कदम उठाए हैं। मनोदर्पण नामक भारत सरकार की पहल में अनेक गतिविधियां शामिल हैं ताकि छात्रों, शिक्षकों और परिवारों को मानसिक और भावनात्मक कल्याण के लिए कोविड़ प्रकोप के दौरान और उसके बाद मनोवैज्ञानिक सहायता प्रदान की जा सके। इसके अतिरिक्त, मनो वैज्ञानिक तनाव के मामलों का शीघ्र पता लगाने के लिए छात्रों हेतु विशेष मनोवैज्ञानिक परामर्श हेल्पलाइन, छात्र कल्याण केंद्र, बडी-सपोर्ट सिस्टम और कई अन्य उपायों को आईआईटी और अन्य संस्थानों में लागू किया गया है।

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के छात्रों के किसी भी मुद्दे का सक्रिय रूप से समाधान करने के लिए, संस्थानों ने अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति छात्र प्रकोष्ठ, समान अवसर प्रकोष्ठ, छात्र शिकायत प्रकोष्ठ, छात्र शिकायत समिति,छात्र सामाजिक क्लब, संपर्क अधिकारी, संपर्क समिति आदि जैसे तंत्र स्थापित किए गए हैं। इसके अतिरिक्त, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) ने छात्रों में समानता और भाईचारे को बढ़ावा देने के लिए समय-मय पर निर्देश जारी किए हैं।

*****